संख्या-12/2024/1006/60-1-2024

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 12 जून, 2024**

विषय:- उत्तर प्रदेश में बाल गृह में निवासरत बच्चों के जन्म पंजीकरण हेतु विशेष अभियान संचालित करने विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-सी.आर.एस /17-2013 (1), दिनांक 06.06.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित-2023) एवं तत्सम्बन्धी उ0प्र0 राज्य नियमावली-2002 के अन्तर्गत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम में अन्तःस्थापित नवीन संशोधनोपरान्त दिनांक 01.10.2023 के पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों हेतु जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के निर्धारक प्रमाणक के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, नागरिकता जैसे विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के सम्बन्ध में भारत सरकार में एकल अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्ध में सभी जनपदों के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त सरकारी एवं निजी संस्थाओं में निवास कर रहे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के जन्म पंजीकरण हेतु विशेष अभियान संचालित कराकर जन्म प्रमाण-पत्र जारी करवाने हेतु निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

(1) अवगत कराना है कि जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं। अतः विशेष अभियान हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी का सहयोग प्राप्त करते हुए दिनांक 15.08.2024 तक बाल गृहों में निवासरत सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया जाय।

(2) प्रदेश के समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, बाल गृह अधीक्षक एवं प्रभारियों को जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित-2023), राज्य नियमावली-2002 तथा अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के पंजीकरण की प्रक्रिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारियों को प्रतिभाग करने के हेतु निर्देशित कर दिया जाय।

(3) जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में विशेष अभियान एवं प्रशिक्षण के समन्वय हेतु निदेशालय स्तर से एक सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सन्दर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने तथा विशेष जन्म पंजीकरण के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित को स्वस्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-12/2024/1006(1)/60-1-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त मण्डल/जनपदों के अन्तर्गत पंजीकृत सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं में निवास कर रहे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के जन्म पंजीकरण हेतु विशेष अभियान संचालित कराकर जन्म प्रमाण-पत्र जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।